

न्यायालय:- विशेष न्यायाधीश (डकैती), गोहद, जिला भिण्ड  
(समक्ष: पी0सी0आर्य)

विशेष डकैती प्रकरण क्रमांक: 02/2016

संस्थित दिनांक-17/02/2016

फाईलिंग नंबर-230303001142016

मध्य प्रदेश राज्य द्वारा-

आरक्षी केन्द्र गोहद चौराहा, जिला-भिण्ड (म0प्र0) -----अभियोजन

### वि रू द्ध

1. राहुल पुत्र राजवीर सिंह गुर्जर.  
उम्र 22 साल निवासी सरसपुरा थाना बिजौली  
जिला ग्वालियर मध्यप्रदेश
2. भूरा उर्फ ब्रजेन्द्र सिंह गुर्जर पुत्र रामेन्द्र सिंह,  
उम्र 20 साल निवासी ग्राम सिरसोद  
थाना गोहद जिला भिण्ड म.प्र. ....आरोपीगण
3. रामू गुर्जर पुत्र सूरजभान सिंह गुर्जर,  
.....किशोर आरोपी होने से मामला पृथक  
किशोर न्याय बोर्ड, भिण्ड में संचालित

राज्य द्वारा श्री भगवान सिंह बघेल अपर लोक अभियोजक  
आरोपी भूरा उर्फ ब्रजेन्द्र सिंह द्वारा श्री ब्रजेन्द्र सिंह यादव अधिवक्ता  
आरोपी राहुल द्वारा श्री केशव सिंह गुर्जर अधिवक्ता

### -:- निर्णय -:-

(आज दिनांक 05 अगस्त 2016 को खुले न्यायालय में घोषित)

1. अभियुक्तगण भूरा उर्फ ब्रजेन्द्र एवं राहुल के विरुद्ध धारा 392/34 भादवि सहपठित धारा-11/13 एम0पी0डी0व्ही0पी0के0 एक्ट का आरोप है कि उन्होंने दि.-21/10/2015 के शाम 07:30 बजे भिण्ड ग्वालियर हाईवे रोड 6 मू के पुरा के सामने राजमार्ग पर सूर्यास्त के पश्चात और सूर्योदय के पूर्व अंतर्गत थाना गोहद चौराहा के डकैती प्रभावित क्षेत्र में अपने साथी के साथ मिलकर सामान्य आशय निर्मित कर उसके अग्रसरण में फरियादी पवन कुमार जाटव की पत्नी सीमा को झपट्टा मारकर उसका पर्स जिसमें 11,800/-रुपये, ए.टी.एम. कार्ड, दो आधारकार्ड, एक लावा कंपनी का मोबाइल, वोटरकार्ड दो, पैनकार्ड व एक बोटरकार्ड पवन का छीनकर लूट कारित की ।

2. प्रकरण में यह स्वीकृत तथ्य है कि घटना दिनांक को राजस्व जिला भिण्ड में म.प्र. डकैती एवं व्यपहरण प्रभावी क्षेत्र अधिनियम 1981 प्रभावशील था यह भी स्वीकृत है कि सह अभियुक्त रामू गुर्जर के अवयस्क होने से उसका मामला किशोर न्यायालय बोर्ड, भिण्ड में संचालित है।
3. अभियोजन के अनुसार घटना इस प्रकार बताई गई है कि दिनांक-21/10/2015 को फरियादी पवन अपनी पत्नी सीमा के साथ टी. व्ही.एस. स्टार सिटी मोटरसाइकिल से ग्वालियर से अपने घर गोहद जा रहा था, शाम करीब साढ़े सात बजे जब वह घूम के पुरा भिण्ड ग्वालियर हाईवे से गुजर रहा था, तभी पीछे से एक काले रंग की लक्सर पर सवार होकर दो व्यक्ति आये और फरियादी की मोटरसाइकिल के बगल से आकर पीछे बैठे व्यक्ति ने उसकी पत्नी सीमा के पर्स पर झपट्टा मारकर पर्स को छिना लिया और गोहद चौराहा तरफ भाग गया। पर्स में 11800/-रुपये, नगद तथा एक मोबाइल लावा कंपनी का, दो ए.टी.एम. कार्ड, बोटर्कार्ड दो, सीमा का आधारकार्ड व फरियादी पवन का बोटर्कार्ड रखा था। एवं लूटे गये सामान व बदमाशों को सामने आने पर पहचान लूंगा।
4. उक्त आशय का की सूचना पर से थाना गोहद चौराहा में फरियादी पवन द्वारा लेखबद्ध करायी गयी, जो थाना के अपराध क्रमांक-241/2015 अंतर्गत धारा-392 भा0द0वि0 व 11, 13 डकैती अधिनियम के अंतर्गत **प्रदर्श पी.-08** लेखबद्ध की गयी एवं विवेचना के दौरान नक्शामौका, जप्ती व आरोपीगण की गिरफ्तारी एवं साक्षियों के कथन उपरान्त अभियोग पत्र न्यायालय में आरोपीगण के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया।
5. अभियोगपत्र एवं सलग्न प्रपत्रों के आधार पर अभियुक्तगण राहुल एवं ब्रजेन्द्र उर्फ भूरा के विरुद्ध के विरुद्ध धारा 392/34 भादवि सहपठित धारा-11/13 एम0पी0डी0व्ही0पी0के0 एक्ट के अंतर्गत आरोप लगाये जाने पर उसने जुर्म अस्वीकार किया। धारा 313 जा0 फौ0 के तहत लिये गये अभियुक्त परीक्षण में रंजिशन झूठा फंसाए जाने का आधार लिया है। आरोपी राहुल ने बचाव साक्ष्य देना व्यक्त किया किन्तु उसकी ओर से कोई बचाव नहीं दी गयी है।
6. प्रकरण के निराकरण हेतु विचारणीय प्रश्न यह है कि :-
  - 1- क्या आपने 21/10/2015 के शाम 07:30 बजे भिण्ड ग्वालियर हाईवे रोड घूम के पुरा के सामने डकैती प्रभावित क्षेत्र में सहअभियुक्त के साथ मिलकर फरियादी पवन व उसकी पत्नी को लूटने का सामान्य आशय निर्मित किया ?
  - 2- उक्त आरोपीगण ने उक्त सुसंगत घटना दि0, समय व स्थान पर उक्त निर्मित सामान्य आशय के अग्रसरण में फरियादी पवन कुमार जाटव की पत्नी सीमा को झपट्टा मारकर उसका पर्स जिसमें

11,800/—रुपये, ए.टी.एम. कार्ड, दो आधारकार्ड, एक लावा कंपनी का मोबाइल, वोटरकार्ड दो, पैनकार्ड व एक बोटरकार्ड पवन का छीनकर लूट कारित की ?

### —::—निष्कर्ष के आधार —::—

#### **विचारणीय प्रश्न क्रमांक-1 एवं 2 का निराकरण**

उपरोक्त दोनों विचारणीय प्रश्नों का निराकरण साक्ष्य की पुनरावृत्ति से बचने के लिये एवं सुविधा की दृष्टि से एक साथ किया जा रहा है।

7. परीक्षित साक्षियों में से घटना के सर्वाधिक महत्व के साक्षी फरियादी पवन कुमार अ.सा.—5 एवं उसकी पत्नी श्रीमती सीमा अ.सा.—11 हैं। जिन्होंने अपने अभिसाक्ष्य में आरोपीगण को नहीं पहचाना है और एक जैसे अभिसाक्ष्य देते हुए यह बताया है कि वे पिछले साल खवार के महीने के दशहरे वाले दिन मोटरसाइकिल क्र0—एम.पी.—07 एम.डी.—4941 से ग्वालियर से अपने घर गोहद आ रहे थे, मोटरसाइकिल पवन चला रहा था, सीमा पीछे पर्स लिये हुए बैठी थी जिसमें 11,800/—रुपये, लावा कंपनी का मोबाइल फोन जिसमें दो सिम पड़ी थी, दो ए.टी.एम. कार्ड, एक बोटरकार्ड, एक आधारकार्ड रखा था। उस पर्स को छीमका गोहद चौराहा के बीच रास्ते में एक मोटरसाइकिल पर दो लडकों ने पीछे से आकर सीमा के कब्जे से छीन लिया था और ले गये थे। जिसके संबंध में पवन कुमार अ.सा.—5 ने थाना गोहद चौराहा पर प्र.पी.—8 की रिपोर्ट लिखायी थी। पुलिस ने रिपोर्ट लिखने के बाद कार्यवाही की थी और घटनास्थल पर जाकर प्र.पी.—9 का नक्शामौका बनाया था।
8. अ.सा.—5 व अ.सा.—9 ने अपने अभिसाक्ष्य में यह भी बताया है कि लूट करने वाले बदमाशों की पुलिस ने पहचान करायी थी। लेकिन पहचान नहीं पाये थे इस संबंध में अ.सा.—5 ने पक्ष विरोधी होते हुए प्रतिपरीक्षा की भांति पूछे गये सूचक प्रश्नों में शिनाख्ती पंचनामा प्र.पी.—7 व 10 पर अपने हस्ताक्षर बताते हुए यह कहा है कि गोहद और ग्वालियर जेल में लूट करने वाले बदमाशों की पहचान कराने के लिए उसे लेकर गये थे लेकिन वह लूट करने वाले बदमाशों को नहीं पहचान पाया था। पैरा-4 में उसने इस बात से भी इंकार किया है कि प्र.पी.—8 की रिपोर्ट में बी से बी भाग में तथा प्रदर्श पी.—11 के पुलिस कथन के ए से ए भाग में “लूट करने वालों को सामने आने पर पहचान लेने की बात लिखायी थी”। इस बात से भी इंकार किया है कि उसने जेल में सही पहचान की थी, आरोपीगण से राजीनामा होने या आरोपीगण के दवाब, प्रभाव या प्रलोभन में आकर असत्य कथन करने से भी उसने इंकार किया है। बल्कि पैरा-6 में उसने विचाराधीन आरोपियों के द्वारा घटना कारित

किए जाने से साफ तौर से इंकार किया है । ऐसा ही अ.सा.-9 के द्वारा पैरा-3 व 4 में भी इंकारी की गयी है।

9. प्र.पी.-8 की एफ आई आर दर्ज करने वाले प्र.आर. लेखक गोपसिंह अ.सा.-6 का अपने अभिसाक्ष्य में यह कहना रहा है कि दि0-21/10/15 को वह थाना गोहद चौराहा में पदस्थ था तब पवन कुमार द्वारा दो अज्ञात आरोपीगण के विरुद्ध पत्नी का पर्स छीनकर ले जाने संबंधी लूट की रिपोर्ट लिखायी गयी थी जिसमें पर्स में आधारकार्ड, पैनकार्ड, रुपया आदि रखे होना बताये गये थे जिसपर से उसने प्र.पी.-8 की एफ आई आर लेखबद्ध की थी जिसमें बी से बी भाग उसे फरियादी ने लिखाया था। अपनी मर्जी से लिखने से उसने इंकार किया है।
10. अन्य परीक्षित साक्षियों में से घटनास्थल का नजरी नक्शामौका तैयार करने वाले उपनिरीक्षक रामबाबूसिंह यादव अ.सा.-8 ने दि0-21/10/15 को ही उक्त अपराध क्र0-241/15 से संबंधित केस डायरी विवेचना के लिए प्राप्त होने पर फरियादी पवन कुमार व उसकी पत्नी सीमा के उनके बताये अनुसार कथन लेखबद्ध करना तथा अगले दिन दि0-22/10/15 को घटनास्थल पर जाकर फरियादी पवन की निशादेही पर प्र.पी.-9 का नक्शामौका तैयार करना बताया है तथा पटवारी महेन्द्रसिंह भदौरिया अ.सा.-7 ने दि0.-04/11/15 को नजरी नक्शा तैयार करना बताते हुए घटनास्थल मौजा छीमका पटवारी हल्का नंबर-34 तहसील गोहद के अंतर्गत होकर ग्राम छीमका में आना बताया है।
11. श्रीमती वंदना बघेल अ.सा.-2 ने अपने अभिसाक्ष्य में दि0-7/1/16 को थाना गोहद चौराहा के अप.क्र.-241/15 के आरोपी भूरा उर्फ ब्रजेन्द्रसिंह की शिनाख्ती की कार्यवाही उपजेल गोहद में उक्त आरोपी के कद काठी, उम्र के समान 06 अन्य व्यक्तियों को शामिल करते हुए फरियादी पवन कुमार के द्वारा कराना और पवन कुमार द्वारा आरोपी भूरा उर्फ ब्रजेन्द्रसिंह के सिर पर हाथ रखकर सही पहचान की जाना बताते हुए प्र.पी.-07 के शिनाख्ती पंचनामा की कार्यवाही करना बताया है और यह कहा है कि जेल के मुख्य गेट के अंदर गैलरी में शिनाख्ती कार्यवाही करायी थी उस समय जेल प्रहरी थे, पुलिस नहीं थी।
12. आरोपीगण के विद्वान अधिवक्ता का अंतिम तर्कों में मूलतः यह कहना रहा है कि फरियादी की लूट आरोपीगण द्वारा नहीं की गयी, उन्हें पुलिस ने झूठा फंसा दिया है इसी कारण फरियादी द्वारा आरोपीगण के द्वारा घटना कारित करने से इंकार किया गया इसलिये पूरा मामला दूषित है और आरोपीगण को दोषमुक्त किया जावे। जिसका विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा अपने तर्कों में विरोध



किया गया है कि फरियादी दवाब, प्रभाव या प्रलोभन में आकर असत्य कथन पहचान के संबंध में कर रहा है इसलिये उसे अनदेखा किया जाये और लूट की घटना का उसके द्वारा समर्थन किया गया है।

13. प्रकरण में उपरोक्त साक्षियों के अभिसाक्ष्य में घटना के पीडित पवन कुमार अ.सा.-5 एवं श्रीमती सीमा अ.सा.-9 ने अपनी अभिसाक्ष्य में प्र.पी.-8 की एफ आई आर में बतायी गयी लूट की घटना के बारे में तो अभिसाक्ष्य दिया है किन्तु लूट की घटना विचाराधीन आरोपीगण के द्वारा कारित की गयी, इस बात का भी समर्थन नहीं कर रहे हैं। शिनाख्ती की कार्यवाही का समर्थन नहीं किया गया है, प्र.पी.-7 में भूरा उर्फ ब्रजेन्द्र गुर्जर की पहचान पवन कुमार द्वारा किया जाना अ.सा.-2 द्वारा करायी जाना अवश्य उल्लेखित किया है किन्तु अ.सा.-5 ने उसका समर्थन नहीं किया है। इसलिये प्र.पी.-7 के शिनाख्ती पत्रक को प्रमाणित दस्तावेज अ.सा.-2 के अभिसाक्ष्य से नहीं माना जा सकता है और प्र.पी.-7 के शिनाख्ती मेमो में तो आरोपी राहुल की पहचान हुई ही नहीं थी। जहां तक प्र.पी.-8 के बी से बी भाग में बदमाशों के सामने आने पर पहचान लेने का उल्लेख है उससे भी अ.सा.-5 ने इंकार किया है। अ.सा.-9 के द्वारा भी कोई पहचान नहीं की गयी जिसके हाथ से पर्स छुड़ाया जाना बताया गया है। एफ आई आर में लूट करने वालों का कद काठी, उम्र हुलिया का भी उल्लेख नहीं है। केवल बिना नंबर वाली पल्सर गाडी से अज्ञात दो व्यक्तियों के द्वारा घटना कारित किए जाने का उल्लेख अवश्य किया गया है और जो घटनास्थल प्र.पी.-9 व प्र.पी.-12 में दर्शाया गया है, वह राजस्व जिला भिण्ड के अंतर्गत आता है और कंडिका-2 में उल्लेखित अधिसूचना अनुसार उक्त घटनास्थल डकैती प्रभावित क्षेत्र के अंतर्गत आता है जैसा कि एम.पी.डी.बी.पी.के. एक्ट अधिनियम 1981 की धारा-3 का प्रावधान भी है।

14. इस तरह से उपरोक्त साक्षियों के अभिसाक्ष्य के आधार पर यह तो प्रमाणित होता है कि दि०-21/10/15 को जब शाम के समय पवन कुमार अपनी पत्नी श्रीमती सीमा को लेकर अपनी मोटरसाइकिल से ग्वालियर से गोहद के लिए भिण्ड ग्वालियर राजमार्ग से जा रहा था, तब रास्ते में ग्राम छीमका और गोहद चौराहा के मध्य राजमार्ग पर सूर्यास्त के पश्चात और सूर्योदय के पूर्व एक मोटरसाइकिल पर दो लोगों ने पीछे से आकर सीमा के हाथ का पर्स बलप्रयोग करते हुए छुड़ा लिया जिसमें रुपये व कागजात, मोबाइल आदि था। अर्थात् डकैती प्रभावित क्षेत्र में उनके साथ लूट की घटना होना तो प्रमाणित है, किन्तु विचाराधीन आरोपीगण के द्वारा उक्त घटना को अंजाम दिया गया इस बारे में लेस मात्र भी साक्ष्य उपरोक्त साक्षियों के अभिसाक्ष्य में नहीं आयी है इसलिये कारित लूट की घटना विचाराधीन आरोपीगण या उनमें से किसीके द्वारा कारित

की गयी या नहीं और लूट कारित करने का उनका कोई सामान्य आशय रहा या नहीं ? यह अन्य अभियोजन साक्षियों का विश्लेषण कर निष्कर्षित करना होगा। क्योंकि उक्त मामले में विचाराधीन आरोपीगण को अनुसंधान के दौरान पकड़े जाने पर उनके द्वारा धारा-27 साक्ष्य विधान के अंतर्गत दिये गये ज्ञापन और ज्ञापनों के आधार पर बरामदगी पर से भी अभियोजित किया गया है।

15. इस संबंध में अभियोजन के परीक्षित साक्षियों में से थाना महाराजपुरा ग्वालियर के उपनिरीक्षक प्रतिपाल सिंह को अ.सा.-4 के रूप में परीक्षित कराया जिसने दि-13/11/15 को थाना महाराजपुरा में पदस्थ रहते हुए इशतगासा क्र.-0/15 के संबंध में आरोपी राहुल गुर्जर को गिरफ्तार किया जाना, उससे पूछताछ करने पर एक आई स्मार्ट हरे रंग की मोटरसाइकिल तथा एक काले रंग की हीरोहोण्डा मोटरसाइकिल एक माह पहले चोरी किए जाने और घर पर रखी होकर उसे बरामद कराने की सूचना दी जाना और उसके आधार पर उक्त दोनों मोटरसाइकिलों को तथा तीन मोबाइल जिसमें एक सूमो कंपनी का, एक माइक्रोमैक्स कंपनी का, एक सैमसंग कंपनी का जब्त करना बताया है और यह भी कहा है कि उसके द्वारा की गयी कार्यवाही का इस प्रकरण की कार्यवाही से कोई संबंध नहीं है, ना ही उक्त साक्षी से कोई दस्तावेज प्रदर्श कराये गये हैं ऐसे में उक्त साक्षी प्रकरण के लिए महत्व का साक्षी नहीं है और उसके अभिसाक्ष्य का अधिक विश्लेषण किए जाने की आवश्यकता नहीं रह जाती है क्योंकि उसका अभिसाक्ष्य विचाराधीन मामले की घटना से कड़ी के रूप में जुड़ता हुआ नहीं आया है।

16. आरक्षक मनोज अ.सा.-09 ने अपनी अभिसाक्ष्य में दि0-23/12/2015 को उक्त अप.क्र.-241/15 में ए.एस.आई. आर. के. पाठक के द्वारा उसके सामने आरोपी भूरा उर्फ ब्रजेन्द्र को गिरफ्तार किया जाना तथा उससे 315 बोर का एक देशी कटटा जब्त करना बताया है, किन्तु इसके संबंध में ए.एस.आई. आर.के.पाठक अ.सा.-1 का कटटा जब्ती बाबत कोई अभिसाक्ष्य नहीं है, कटटा जब्ती का कोई दस्तावेज प्रदर्श भी नहीं कराया गया है, ना ही आरोपी भूरा उर्फ ब्रजेन्द्र के विरुद्ध आयुध अधिनियम 1959 के अंतर्गत कोई अपराध का आरोप विरचित है। इसलिये उक्त साक्षी का अभिसाक्ष्य भी प्रकरण में कोई विधिक महत्व नहीं रखता है।

17. प्रकरण में अभियोजन की ओर से आर.बी.एस. यादव उपनिरीक्षक अ.सा.-8 ने अपनी अभिसाक्ष्य में दि0-24/12/15 को विवेचना के दौरान आरोपी भूरा उर्फ ब्रजेन्द्र को गिरफ्तार कर प्र.पी.-1 का गिरफ्तारी पंचनामा तैयार करना बताया है। तथा उक्त दि. को ही आरोपी भूरा उर्फ ब्रजेन्द्र सिंह पूछताछ कर घटना में प्रयुक्त कटटा बरामदगी के लिए मेमोरेण्डम कथन लेना जिसमें रुपये एक

पॉलीथिन में घर में छिपाकर रख देना व बरामद करा देने की सूचना देने पर प्र.पी.-4 का मेमोरेण्डम कथन लेखबद्ध करना कहा है तथा दिये गये मेमोरेण्डम कथन की तस्दीख दि.-25/12/15 को आरोपी भूरा को उसके ग्राम सिरसौदा स्थित घर ले जाकर उसकी निशादेही पर एक काले रंग की डिस्कवर मोटरसाइकिल क्र.-एम.पी.-30 एम.सी.-8382 को जब्त करना बताया है, जो आरोपी के पिता के नाम से पंजीकृत थी। जिसका रजिस्ट्रेशन कार्ड एवं 680/-रूपये पेश करने पर जब्त करना बताया है जिसका प्र.पी.-6 का उसने जब्ती पत्रक तैयार करना कहा है। जिसका समर्थन ए.एस.आई. आर.के. पाठक अ.सा.-1 ने अपने अभिसाक्ष्य में किया है। प्र.पी.-1 के मुताबिक आरोपी भूरा की गिरफ्तारी थाना गोहद चौराहा दि.-24/12/15 को शाम 6:40 बजे की जाना बतायी गयी है। प्र.पी.-4 मुताबिक उसके पूर्व ही 06:30 बजे धारा-27 साक्ष्य विधान के तहत मेमोरेण्डम कथन लेखबद्ध करना बताया है। अर्थात् पुलिस अभिरक्षा में लिये जाने के पूर्व ही धारा-27 साक्ष्य विधान के तहत मेमोरेण्डम कथन लेखबद्ध किया गया है जबकि पुलिस अभिरक्षा में लिया जाकर मेमोरेण्डम कथन लिया जाना चाहिये, भले ही औपचारिक गिरफ्तारी ना की जाय। पुलिस अभिरक्षा में लेकर पूछताछ की गयी थी ऐसा अ.सा.-8 के अभिसाक्ष्य में नहीं आया है बल्कि गिरफ्तारी के बाद में मेमोरेण्डम कथन लेना बताया है जोकि प्र.पी.-4 को देखते हुए अभिलेख के प्रतिकूल है।

18. साक्ष्यविधान की धारा-27 के निम्नलिखित महत्वपूर्ण अंग हैं :-
  1. सूचना देने वाला व्यक्ति किसी अपराध का अभियुक्त होना चाहिए।
  2. उसका पुलिस की अभिरक्षा में होना चाहिए।
  3. उस व्यक्ति के द्वारा दी गई जानकारी के परिणामस्वरूप किसी सुसंगत तथ्य का पता लगना चाहिए।
  4. पता चले हुए तथ्य से स्पष्टतया संबंधित भाग को साबित किया जा सकता है।
  5. चाहे वह भाग संस्वीकृति की कोटि में आता हो या नहीं।
19. माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा न्याय दृष्टांत लक्ष्मीनारायण विरुद्ध स्टेट ऑफ़ एम0पी0 2009 भाग-1 एम0पी0एच0टी0 पेज-478 में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि यदि एक व्यक्ति की सूचना के मेमोरेण्डम में किसी अन्य व्यक्ति के नाम का उल्लेख भी आया हो तो उस दूसरे व्यक्ति को उसके आधार पर दोषसिद्ध नहीं किया जा सकता है। जब तक कि उसके विरुद्ध अन्य विश्वसनीय साक्ष्य न हो। उक्त न्याय दृष्टांत विचाराधीन मामले में इस कारण प्रायोज्य किये जाने योग्य है क्योंकि अभिलेख पर आरोपी के विरुद्ध अन्य कोई साक्ष्य, तथ्य परिस्थितियाँ नहीं आई हैं जो उसे घटना में संलिप्त मानने के लिये पर्याप्त हों।

ऐसे में एक सह अभियुक्त के द्वारा धारा-27 के ज्ञापन में उसका नाम बता दिये जाने के आधार पर उसे घटना से नहीं जोड़ा जा सकता है और धारा-133 साक्ष्य अधिनियम का उपबंध भी लागू नहीं होता है। जैसा कि विशेष लोक अभियोजक का तर्क है क्योंकि धारा-133 साक्ष्य अधिनियम में सह अपराधी के द्वारा अभियुक्त व्यक्ति के विरुद्ध सक्षम साक्षी होने का उपबंध किया गया है जिसमें यह प्रावधान है कि **सह अपराधी-** सह अपराधी अभियुक्त व्यक्ति के विरुद्ध सक्षम साक्षी होगा, और कोई दोषसिद्धि केवल इसलिये अवैध नहीं है कि वह किसी सह अपराधी के असंपुष्ट परिसाक्ष्य के आधार पर की गई है।

20. धारा-27 साक्ष्य विधान के तृतीय अंग के रूप में दी गई जानकारी में सुसंगत तथ्य का पता चलना चाहिए। इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्याय दृष्टांत **स्टेट ऑफ महाराष्ट्र विरुद्ध दामो गोपीनाथ शिन्दे ए0आई0आर0 2000 एस0सी0 पेज-1651** में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि उक्त प्रावधान मूल रूप से पश्चातवर्तीय घटना द्वारा पुष्टिकरण के सिद्धान्त पर आधारित है। अभियुक्त द्वारा दी गई सूचना के आधार पर यदि किसी सुसंगत तथ्य का पता लगता है तो यह सूचना के सत्य होने की गारंटी होती है क्योंकि जिस स्थान से वस्तु की बरामदगी होती है उसका ज्ञान अभियुक्त को ही होता है। ऐसा उपधारित होगा। न्याय दृष्टांत **सलीम अख्तर विरुद्ध स्टेट ऑफ यू0पी0(2003) 5 एस0सी0सी0 499** में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि उक्त प्रावधान के अंतर्गत दिये जाने वाले कथन का उतना भाग ही साक्ष्य में ग्राह्य योग्य होगा जिससे किसी सुसंगत तथ्य का पता लगता है।

21. प्र.पी.-4 के मेमोरेण्डम कथन मुताबिक भूरा उर्फ ब्रजेन्द्र सिंह के द्वारा दो मोटरसाइकिलों का उपयोग बताया गया जिसमें उक्त आरोपी को डिस्कवर मोटरसाइकिल से और शेष आरोपी राहुल व बाल न्यायालय भेजे गये आरोपी रामू का पल्सर मोटरसाइकिल से आना बताया गया है। जबकि एफ आई आर प्र.पी.-08 मुताबिक दो अज्ञात व्यक्ति एक मोटरसाइकिल काले रंग की पल्सर से ही आये थे। डिस्कवर मोटरसाइकिल का कोई उल्लेख नहीं आया है। तथा कारित घटना में कोई अवैध देशी कटटे का उपयोग भी एफ आई आर मुताबिक बताया गया, केवल झपट्टा मारकर सीमा का पर्स छुड़ा लिया जाना और गोहद चौराहा की तरफ भाग जाना बताया है इससे भी कटटा और डिस्कवर मोटरसाइकिल के संबंध में कार्यवाही का कोई आधार नहीं है। प्र.पी.-01, 04 एवं 06 के दूसरे पंच साक्षी ए.एस.आई. अशोक सिंह तोमर से समर्थन नहीं कराया गया, बल्कि वह प्रकरण में अ.सा.-10 के रूप में अभियोजन द्वारा परीक्षित कराया गया है। प्र.पी.-4 मुताबिक 680/-रुपये की जानकारी ली गयी जिसे प्र.पी.-6 मुताबिक जब्त किया जाना बताया गया है किन्तु रुपयों



की कोई पहचान नहीं है, ना तो एफ आई आर में रूपयों का कोई विवरण है कि कितने कितने के नोट थे, ना ही अ.सा.-5 व 9 ने बताया है। प्र.पी.-6 में भी केवल 680/-रूपये नगद आरोपी के पेश करने पर जब्त करना बताया है, उसमें कितने कितने के नोट थे ना तो साक्ष्य में बताया है ना ही प्र.पी.-6 में उल्लेख है और जब्ती की कार्यवाही वास्तव में आरोपी के घर जाकर की गयी इस बारे में कोई रोजनामचा सान्हा पेश नहीं है। प्र.पी.-6 के कॉलम नंबर-13 की पूर्ति भी नहीं की गयी है जिसमें वस्तु जब्त करते समय उसका सील नमूना जिससे जब्त की जाये उसके हस्ताक्षर या अंगूठा निशानी पावती बाबत लिये जाने वाला स्थान रिक्त है और जब्ती मेमोरेण्डम की कार्यवाही का कोई जनता का व्यक्ति पंचसाक्षी नहीं है, थाने के ही पदस्थ अन्य ए.एस.आई. साक्षी बनाये गये हैं, जिससे बचाव पक्ष के इस तर्क को बल मिलता है कि पूरी कार्यवाही थाने पर बैठकर कर ली। आरोपी ब्रजेन्द्र उर्फ भूरा को किस आधारपर उक्त अपराध में पकड़ा गया इसके बारे में भी स्थिति स्पष्ट नहीं की गयी है। ऐसे में यदि जब्ती गिरफ्तारी प्रमाणित भी मान ली जाये तो उससे कोई कड़ी नहीं जुड़ती है क्योंकि जो रूपये जब्त हुए हैं वह किसी के पास भी हो सकते हैं तथा लूटा गया मोबाइल बरामद नहीं हुआ जिसके बारे में इस आशय की साक्ष्य दी गयी है कि वह छीमका पुल के पास फेंक दिया गया था। जिसके संबंध में आरोपी राहुल का प्र.पी.-3 का मेमोरेण्डम कथन दिया जाना बताया गया है। ऐसे में आरोपी ब्रजेन्द्र उर्फ भूरा के संबंध में घटना के विवेचक आर.बी.एस. यादव अ.सा.-8 के द्वारा की गयी कार्यवाही को विधिक दृष्टि से प्रमाणित नहीं माना जा सकता है और प्र.पी.-4 के मेमोरेण्डम कथन में डिस्कवरी का पार्ट प्रमाणित नहीं है।

**22.** आरोपी राहुल गुर्जर के संबंध में विवेचना में कार्यवाही ए.एस. आई. अ.सा.-10 के द्वारा करना बतायी गयी जिसने इस आशय का अभिसाक्ष्य दिया है कि दि.-26/12/15 को उक्त अपराध की विवेचना में उसने आरोपी राहुल से पूछताछ करके धारा-27 साक्ष्य विधान के तहत प्र.पी.-3 का मेमोरेण्डम कथन लेखबद्ध किया था जिसमें 600/-घर के बक्से में रखने व बरामद कराने की जानकारी उसे दी गयी थी और जानकारी के आधार पर दि.-27/12/15 को आरोपी के पेश करने पर 600/-रूपये नगदी, फरियादी पवन का आधारकार्ड उसने प्र.पी.-5 मुताबिक जब्त किया था। प्र.पी.-3 व 5 के पंच साक्षी भी पुलिसकर्मी हैं जिसमें ए.एस.आई. आर.के. पाठक व आरक्षक राजेन्द्र शुक्ला हैं। ए.एस.आई. आर.के. पाठक अ.सा.-1 के रूप में व आरक्षक राजेन्द्र शुक्ला अ.सा.-3 के रूप में परीक्षित कराये गये हैं जो अ.सा.-10 के अभिसाक्ष्य का अपनी अभिसाक्ष्य में समर्थन अवश्य करते हैं। आरोपी राहुल को ए.एस.आई. आर.के. पाठक दि.-26/12/15 को न्यायालय परिसर गोहद से औपचारिक रूप से प्र.पी.-2 के गिरफ्तारी पत्रक मुताबिक गिरफ्तार

करना बताता है।

23. आरोपी राहुल से भी 600/-रूपये बरामद बताये गये हैं उसकी कोई पहचान नहीं है, ना ही नोटों का प्रकार अ.सा.-1, अ.सा.-3 व अ.सा.-10 ने स्पष्ट अभिसाक्ष्य दिया है। प्र.पी.-5 में अवश्य इस बात का उल्लेख है कि 100-100 के 06 नोट थे किन्तु अ.सा.-5 और अ.सा.-9 के अभिसाक्ष्य में यह नहीं आया है कि श्रीमती सीमा जो पर्स लिये थे उसमें 11800/-रूपये उनमें कितने कितने के नोट थे। ऐसे में 100-100 के 06 नोट जब्त होने से भी यह निर्धारित नहीं किया जा सकता है कि वह लूट वाले ही रूपये रहे होंगे। प्र.पी.-5 में फरियादी पवन का आधार कार्ड भी जब्त किया जाना बताया गया है। जब्ती के संबंध में श्रीमती सीमा अ.सा.-11 का यी स्पष्ट अभिसाक्ष्य पैरा-3 में आया है कि पवन का आधारकार्ड चोरी नहीं हुआ था और उसके संबंध में उसने कोई बयान भी नहीं दिया। हालांकि एफ आई आर में सीमा के आधारकार्ड को लूट में साथ में जाना बताया गया है। और पवन व सीमा दोनों के बोटरकार्ड, सीमा का पैनकार्ड तथा दो ए.टी.एम. कार्ड भी बताये गये जिनमें से कुछ भी बरामद नहीं हुआ है। ऐसे में प्र.पी.-3 व 5 के आधार पर आरोपी राहुल गुर्जर को विचाराधीन मामले की घटना से नहीं जोड़ा जा सकता है और प्र.पी.-2, 3 व 5 की कार्यवाही बाबत भी कोई रोजनामचा सान्हा पुलिस द्वारा पेश नहीं किया गया, आम जनता का कोई व्यक्ति साक्षी नहीं है और थाने पर ही पदस्थ पुलिस अधिकारी कर्मचारी पंच साक्षी बनाये गये हैं। जिससे बचाव पक्ष का यह तर्क भी विधिक बल रखता है कि राहुल के संबंध में भी पूरी कार्यवाही थाने पर बैठकर पुलिसवालों ने खानापूती करते हुए कर ली। ऐसी स्थिति में अ.सा.-1 व अ.सा.-3 तथा अ.सा.-10 के अभिसाक्ष्य से विचाराधीन आरोप में राहुल की भी भूमिका आरोपी भूरा उर्फ ब्रजेन्द्र के साथ युक्ति युक्त संदेह के परे प्रमाणित नहीं होती है। एफ आई आर मुताबिक जिस पल्सर मोटरसाइकिल का घटना में उपयोग बताया गया है, उसकी कोई बरामदगी नहीं है, ना ही इसके संबंध में कोई अनुसंधान किया गया है, इससे भी घटना संदिग्ध हो जाती है।

24. इस तरह से उपरोक्त समग्र साक्ष्य, तथ्य, परिस्थितियों के चरणबद्ध तरीके से किए गये विश्लेषण के आधार पर अभियोजन अभियोजन अपना मामला आरोपीगण भूरा उर्फ ब्रजेन्द्र सिंह एवं राहुल के विरुद्ध युक्ति युक्त संदेह के परे प्रमाणित करने में असफल रहा है। फलतः आरोपीगण राहुल एवं भूरा उर्फ ब्रजेन्द्र को संदेह का लाभ देकर धारा-392/34 भा.द.वि. एवं धारा-11, 13 एम.पी. डी.ब्लि.पी.के. एक्ट के अपराध से दोषमुक्त किया जाता है।

25. आरोपीगण के जमानत मुचलके निरस्त किए जाते हैं।

26. आरोपीगण का धारा-428 जा.फौ. के तहत प्रमाणपत्र संलग्न हो ।

27. प्रकरण में है इसलिये जब्तशुदा मोटरसाइकिल पूर्व से पंजीकृत स्वामी की सुपुर्दगी पर है, अतः सुपुर्दगीनामा अपील अवधि पश्चात भारमुक्त समझा जावे। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के निर्णय अनुसार संपत्ति का निराकरण किया जावे।

28. निर्णय की एक प्रति जिला दण्डाधिकारी भिण्ड को भेजी जाये।

दिनांक: 05/08/2016

निर्णय हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर  
खुले न्यायालय में घोषित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(पी.सी. आर्य)  
विशेष न्यायाधीश, डकैती  
गोहद जिला भिण्ड

(पी.सी. आर्य)  
विशेष न्यायाधीश, डकैती  
गोहद जिला भिण्ड

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि  
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)